रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 1972/अग्रहायण 30, 1894

No. 303] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 1972/AGRAHAYANA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 21st December, 1972

G.S.R 493(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/59-Central Excises (G.S.R. 546), dated the 9th May, 1959, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in Serial Number 2B, after item (1), the following item shall be inserted, namely:—

Articles for manufacture in bond	Excisable goods for manufacture of articles specified in column (2)
2	3
"(2) Jute fabrics	Mixed yarn, falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

[No. 232/72-C.E.—F. No. 261/22A/10/72-CX8.]

K. L. MUKHERJI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1972

सा० का० नि० 493(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 53/59 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (सा० का० नि० 546 तारीख 9 मई, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्या 2 ख में, मद (1) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

वस्तुएं जिनका विनिर्माण बंधपत्र के अधीन होना है	स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उत्पादशुल्क योग्य माल
(2)	(3)
"(2) जूट फैब्रिक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 18क के अन्तर्गत आने वाला मिश्रित सूत।"

[सं० 252/72—के० उ० शु०—फा० सं० 261/22क/10/72—सी०एक्स०—8]

के० एल० मुखर्जी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972